



176
09.5.18

227 - 90

પ્રતિછિદ્જિતી આવૈત્રા દિનાંક - 09.5.2018 રુપિયાએ છસા પારીએ
જામાણાએ ઉપાડિકાદીઓએ ગીલિણીછુટે જાબદ ભાઈનીએ
ચાસા. ૪૦ શાઠ સેંચ વાદ સેરણા - ૩૧ ગ્રામ - સિડાલિંગ પાણા.
સુધીના કોરિનીનું તુપું ચાંપી કાણ હુરકાંદ તાપીશ
એલંગ - 09.5.18 રુ.

176
09.5.18
સુધીના
10.5.18
10.5.18
7.00

સિડાલિંગ
બાળ પુષ્પાલ
અંગારી
સિડાલિંગ
બાળ પુષ્પાલ

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिसापिकारी
मण्डल : फैजाबाद, नजफगढ़ : फैजाबाद, तहसील : मिल्कीपुर
वाद संख्या : 04130/2017
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T201704230404130
कोशीलेन्ट प्रताप मिश्र बनाम सरकार वापरां ३।
अंतर्गत पारा : 80, आधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम सिलसिल परगना खण्डासा

तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद।

आदेश

प्रसन्नगत वाद कोशलेन्ट प्रताप आदि निवासी ग्राम सिलसिल परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि प्रार्थी ग्राम सिलसिल परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद को स्थायी निवासी है। गाठा संख्या 1533 रकमा 2.163 हेक्टेक्टर स्थित ग्राम सिलसिल परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद प्रार्थीगण के नाम संकरणीय भूमिकर दर्ज कागजात है। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी का 1/2 अंश होता है। उपरोक्त भूखण्ड में कमरे व गाउण्डीवाल बने हुए हैं। किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है। भूखण्ड पूरी तरह से आबादी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। भविष्य में विद्यालय घटाने की योजना प्रस्तावित है उपरोक्त भूखण्ड पर आवासीय भवन गाउण्डीवाल गेट आफिस होने तथा किसी प्रकार का कृषि कार्य न होने की दशा में अकृपिक/आबादी भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में ग्राम सिलसिल की गाठा संख्या 1533 रकमा 2.163 हेक्टेक्टर में 1/2 अंश 1.081.5 हेक्टेक्टर को अकृपिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के साथ नकल खत्तीनी आकार पत्र 41 व 45 की नकल व भौके का इक्टिधित दाखिल किया गया है। पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद से जांच करायी गयी। तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद की जांच आख्यानुसार ग्राम सिलसिल की गाठा संख्या 1533 जो योशलेन्ट प्रताप मिश्र आदि निवासी ग्राम सिलसिल के नाम संकरणीय भूमिकर दर्ज गयी है, पर पाकड़ा निर्गाण करके गैरकृपिक प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है। वाद दर्जे रजिस्टर करके पहां को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। खोई आपति नहीं आयी है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित संर्कित रेट के

✓

८५०